प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा मे,

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, एन0एच0एम0।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जनपद–पीलीभीत, बिजनौर, कौशाम्बी, बहराइच एवं प्रतापगढ़, उ0प्र0।

पत्रसंख्या–एस0पी0एम0यू0/मातृ स्वा0/मीजोप्रोस्टॉल/136/2018–19/8271-2 दिनांकः10 09.2018

विषयः राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत जनपद–पीलीभीत, बिजनौर, कौशाम्बी, बहराइच एवं प्रतापगढ में पी.पी.एच. से बचाव हेतु गृह प्रसव अपनाने वाली गर्भवती महिलाओं को मीजोप्रोस्टॉल टैबलेट्स वितरण सम्बन्धी पायलेट के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2018–2019 में धनराशि आबंटन एवं दिशा–निर्देश।

महोदय/महोदया,

अवगत कराना है कि मातृ मृत्यु के महत्वपूर्ण कारकों में से एक प्रसूताओं में प्रसवोपरान्त अत्यधिक रक्तश्राव (पी.पी.एच.) से मृत्यु है। भारत सरकार द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुसार गृह प्रसव के मामलों में पी.पी.एच. से बचाव हेतु मीजोप्रोस्टॉल एक सुरक्षित एवं प्रभावी यूटेरोटॉनिक औषधि है। इसी क्रम में प्रदेश के बिजनौर एवं पीलीभीत जनपदों में (जहाँ अपेक्षाकृत गृह प्रसवों का प्रतिशत अधिक है) पी.पी.एच. से बचाव हेतु गर्भवती महिलाओं को आशाओं द्वारा मीजोप्रोस्टॉल टैबलेट्स के अग्रिम वितरण एवं प्रयोग हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 में भारत सरकार से प्राप्त आर0ओ0पी0 में एफ0एम0आर0

कोड– **18.2** में रू0–111.86 लाख धनराशि स्वीकृत की गयी है। इस धनराशि में आशाओं के लिये रू0–100.00 प्रति लाभार्थी प्रोत्साहन धनराशि भी सम्मिलित है।

भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार जननी सुरक्षा के अर्न्तगत गर्भवती महिलाओं एवं शिशुओं को गुणवत्तापरक प्रसव पूर्व जांचे, संस्थागत प्रसव, एवं प्रसवोपरान्त संस्थागत सेवाये देने को तत्पर है फिर भी कतिपय क्षेत्रों में विभिन्न कारणों यथा दूरी एवं उपलब्धता के अभाव के कारण संस्थागत प्रसवों की संख्या पर्याप्त से कम है। ऐसी परिस्थितियों में अपर्याप्त सुविधाओं के कारण घरेलू प्रसव वाली महिलाओं को गुणवत्तापरक (प्रसव के दौरान एवं पश्चात) सेवायें प्रदान करने का दायित्व क्षेत्रीय ए0एन0एम0 व आशा का है।

सर्वविदित है कि रक्तश्राव (Hemorrhage) भारत में मातृ मृत्यु का प्रमुख कारण है। लगभग 40%मातृ मृत्य रक्तश्राव के कारण होती है जिनमें से अधिक्तर (PPH) पी0पी0एच0 से होती है। प्रसव की तृतीय अवस्था के प्रबंधन के दौरान पी0पी0एच0 से बचाव के लिये मीजोप्रोस्टाल गोलियां दी जा सकती है। भारत सरकार द्वारा घरेलू प्रसव में पी0पी0एच0 से बचाव हेतु ए0एन0एम0 द्वारा मीजोप्रोस्टाल दिये जाने हेतु अधिकृत किया गया है।

मीजोप्रोस्टाल एक ओरल प्रोस्टेग्लोण्डिन एनलॉग है जिसका उपयोग प्रसव के तुरन्त बाद किये जाने से पी0पी0एच0 से बचाव संभव है। मीजोप्रोस्टाल की खुराक दिये जाने में सेवा प्रदाता के लिये किसी भी विशेष दक्षता की आवश्यकता नही होती है इसलिये मीजोप्रोस्टाल की गोलियों का प्रयोग पी0पी0एच0 प्रबंधन हेतु दूरस्थ एवं घरेलू प्रसव के बहुतायत वाले क्षेत्रों में किया जा सकता है।

WHO द्वारा निर्गत दिशा निर्देश "Optimizing Health Worker's Roles for MNH Intervention through test shifting" के द्वारा घरेलू प्रसव पी0पी0एच0 से बचाव के लिये सामान्य कार्यकर्ता द्वारा मीजोप्रोस्टाल के प्रयोग की सिफारिश की गई है। अन्य अध्ययनों के अनुसार भी इस दवा का वितरण सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकत्री द्वारा गर्भवती महिला को घर पर स्वयं के सेवन के लिये सीधे ही किया जा सकता है।

जैसा कि घरेलू प्रसव के अधिकांश मामलों में विभिन्न कारणों से ए0एन0एम0 प्रसव के समय उपलब्ध नही होती है एवं आशा समुदाय में कार्यरत है अतः भारत सरकार द्वारा लिये गये नीतिगत निर्णय के अनुसार आशा कार्यकत्री द्वारा संभावित घरेलू प्रसव अपनाने वाली गर्भवती महिलाओं को पी0पी0एच0 से बचाव हेतु मीजोप्रोस्टल टेबलेट्स के वितरण का उत्तरदायित्व देने का निर्णय लिया गया है।

उत्तर प्रदेश में जनपद बिजनौर, पीलीभीत, कौशाम्बी, बहराइच एवं प्रतापगढ़ के समस्त ब्लॉको में यह पाइलेट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया जा रहा है।

पी0पी0एच0 से बचाव हेतु मीजोप्रोस्टाल टेबलेट्स के अग्रिम वितरण हेतु बाध्यताएं

नजदीकी स्वास्थ्य इकाई पर जहां मां और बच्चे को आवश्यक चिकित्सीय सुविधायें दी जा सके।

1. .समस्त महिलाओं को संस्थागत प्रसव हेतु प्रेरित किया जाये।
2. सभी महिलायें जो कतिपय कारणों से चिकित्सालयों में संस्थागत प्रसव की सुविधा नही ले सकें ए0एन0एम0 अथवा प्रशिक्षित सहायक उपस्थित रहकर प्रसव में सहयोग करें।
3. दो विशेष परिस्थितियों में पी0पी0एच0 से बचाव हेतु ऐसी गर्भवती महिलायें जो अस्पताल में प्रसव कराना चाहती थी परन्तु किन्ही कारणों से प्रसव घर में अथवा रास्ते में हो जाता है आशा द्वारा मीजोप्रोस्टल टेबलेट्स का वितरण गर्भवती महिला द्वारा स्वतः इस्तेमाल हेतु किया जा सकता है।

समुदाय आधारित मीजोप्रोस्टल टैबलेट्स का वितरण हेतु गर्भवती महिलाओं के चयन की प्रकिया–

1. ए0एन0एम0 एवं आशा द्वारा समस्त गर्भवती महिलाओं को सूचीबद्ध किया जायेगा। उनके द्वारा ससमय प्रसव पूर्व जांचे एवं आवश्यकतानुसार नजदीकी स्वास्थ्य इकाई पर प्रसव हेतु परामर्श भी दिया जायेगा।
2. उपर्युक्त सूचीबद्ध करने की प्रकिया से ए0एन0एम0 व आशा को ज्ञात हो जायेगा कि कौन सी गर्भवती महिलायें बच्चे को घर पर ही जन्म देना चाहती है।
3. इसके अतिरिक्त ए0एन0एम0 व आशा घर पर ही प्रसव कराने वाली महिलाओं का चिन्हीकरण निम्न तथ्यों के आधार पर किया जा सकता है।
   - एक या एक से अधिक घरेलू प्रसव का इतिहास।
   - ऐसे परिवार जहां धार्मिक, सामाजिक या आर्थिक कारणों से घरेलू प्रसव होते है।
   - प्रथम छः माह में दो से कम ए0एन0सी0 वाली गर्भवती महिलाये।
   - ऐसी महिलायें जिनके परिवार में अन्य बच्चों/परिवार की देखभाल हेतु कोई न हो।
   - ऐसी महिलायें/परिवार जहां जो स्पष्टतः घर पर ही प्रसव कराना चाहती हों।
   - अपंग बच्चों वाले/ऐसे परिवार जहां किसी वयस्क का सहयोग न हो।
   - दूरस्थ गांव/मजरों जहां सड़क सम्पर्क न हो या बाढ/जलभराव से मुख्य स्थान से अलग हो।

ए.एन.एम. आशा के विवेक पर मीजोप्रोस्टॉल के अग्रिम वितरण की जिम्मेदारी– यद्यपि ए.एन.एम. को अग्रिम मीजोप्रोस्टॉल के वितरण हेतु चयनित किया गया है परन्तु उनकी व्यस्तता के दृष्टिगत आशाओं द्वारा गर्भावस्था के आठवें माह में घरेलू भ्रमण के समय गर्भवती महिला को मीजोप्रोस्टॉल का वितरण किया जाना उचित होगा।

समस्त गर्भवती महिलाओं को पी0पी0एच0 से बचाव के लिये मीजोप्रोस्टॉल के वितरण से पहले नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र/अस्पताल पर ले जाना आवश्यक होगा ताकि एक से अधिक गर्भस्थ शिशु की पहचान की जा सके। एक से अधिक गर्भस्थ शिशु वाली गर्भवती महिलाओं को प्रसव/अग्रिम देखभाल हेतु उचित स्तर के अस्पताल पर सन्दर्भित किया जाये।"

मीजोप्रोस्टॉल टैबलेट्स के वितरण की प्रकिया–

1. **समय** –ऐसी महिलायें जो घर पर ही प्रसव चाहती है उनको गर्भावस्था के आठवें माह में मीजोप्रोस्टॉल गोलियों का अग्रिम वितरण किया जाये जिससे पी.पी.एच. से बचाव हेतु मीजोप्रोस्टॉल टैबलेट्स के सेवन को वह याद रख सके।

2. **परामर्श–** ए.एन.एम. गर्भवती महिलाओं को एक सप्ताह के अन्तराल पर कम से कम दो बार गोलियों के इस्तेमाल हेतु परामर्श देना सुनिश्चित करें।
3. **मात्रा–** भारत सरकार द्वारा पी.पी.एच. से बचाव हेतु मीजोप्रोस्टॉल की 200 mg वाली तीन गोलियां (कुल 600 माइक्रोग्राम) का मानक निर्धारित किया गया है। मीजोप्रोस्टॉल के गर्भवती महिलाओं के वितरण हेतु इसी का अनुपालन किया जायेगा।
4. **वितरण स्थल–**ग्रह प्रसव चाहने वाली गर्भवती महिलाओं को ग्रह भ्रमण के दौरान मीजोप्रोस्टॉल का वितरण किया जाये। प्रसव के दौरान प्रसव की तृतीय अवस्था में महिला स्वंय मीजोप्रोस्टॉल गोलियों के सेवन की स्थिति में नही होगी। अतः उसी घर की किसी एसी महिला जो प्रसव के समय उसके साथ होगी गोली खिलाने के आवश्यक निर्देश उसे ही दिये जायें।
5. **विशेष परिस्थित–** ऐसी स्थित जब आशा संस्थागत प्रसव हेतु महिला के साथ हो एवं घर पर या रास्ते में हो प्रसव हो जाये तब आशा या उसके परिवार जनो द्वारा मीजोप्रोस्टॉल 600 माइक्रो ग्राम प्रसव के तुरन्त बाद दे दिया जाये।
6. **प्रतिकूल प्रभाव–** यद्यपि मीजोप्रोस्टॉल के सेवन के पश्चात प्रतिकूल प्रभाव नगण्य है एवं अधिकांशतः गंभीर खतरा नही होता फिर भी किसी प्रतिकूल प्रभाव की सूचना ए.एन.एम. और आशा द्वारा जनपद नोडल को अवश्य दी जाये ।

प्रमुख महत्वपूर्ण संदेश

1. निम्न परिस्थितयों में गर्भवती महिला को संस्थागत प्रसव हेतु संदर्भित करें।
   - विगत में आपरेशन द्वारा प्रसव
   - मायोमेक्टमी
   - बच्चे का आड़ा, बेड़ा या तिरछा होना
   - गंभीर रक्ताल्पता/प्रेगनेन्सी इन्डयुस्ड हाइपरटेंशन (PIH)
   - गंभीर हृदयरोग अथवा कोई और जटिलता
2. मीजोप्रोस्टॉल का सेवन गर्भावस्था के दौरान/ प्रसव से पहले नही किया जाना चाहिये क्योंकि गर्भाशय में तनाव बढ़ता है एवं परिणामस्वरूप गर्भपात को प्रेरित कर सकता है। तथा बच्चेदानी के फटने का खतरा भी हो सकता है। गर्भावस्था में मीजोप्रोस्टॉल के प्रयोग से बच्चे में विकृतियां हो सकती है।
3. **अन्य विपरीत प्रभाव**
   - जाड़ा लगकर बुखार आना
   - उल्टी /जी मिचलाना
   - पेट में मरोड़
   - दस्त/कब्ज की शिकायत
   - सिर दर्द
   - गंभीर एलर्जी प्रतिकिया।

मीजोप्रोस्टॉल का वितरण आशा को ए.एन.एम. के माध्यम से किया जायेगा। दवा की मात्रा की गणना सूचीबद्व गर्भवती महिलाओं की संख्या पर आधारित होगी, जो घर पर प्रसव को अपनाएगी।

ए.एन.एम यह सुनिश्चित करें कि हर समय मीजोप्रोस्टॉल की पर्याप्त आवश्यक मात्रा के अतिरिक्त किसी आकस्मिक आवश्कता हेतु पर्याप्त खुराक दवा उनके पास मौजूद रहे।

आशा के पास रखने हेतु आवश्यक मात्रा– घरेलू प्रसव को अपनाने वाली गर्भवती महिलाएँ एवं पी. पी.एच. से बचाव के लिये दो अतिरिक्त डोज।

प्रशिक्षण– मीजोप्रोस्टॉल दवा के अग्रिम वितरण हेतु ब्लॉक स्तर पर ए.एन.एम./आशा को एक दिवसीय संयुक्त प्रशिक्षण दिया जाना सुनिशचित किया जाये। एम0ओ0आइ0सी0 संबन्धित ब्लॉक की प्रशिक्षित एल.एच.वी.द्वारा यह प्रशिक्षण संपादित किया जायेगा।

प्रशिक्षण के प्रमुख बिन्दु–

1. प्रसव की संभावित तिथि की गणना (एल.एम.पी. के आधार पर)

2. प्रसव एवं जटिलता प्रबंधन हेतु तैयारी।
3. संस्थागत प्रसव के महत्व पर परामर्श
4. घर पर प्रसव की इच्छुक गर्भवती महिला को आठ माह में एक से अधिक भ्रूण होने पर अग्रिम देखभाल के लिये उचित अस्पताल पर संदर्भित करना।
5. गर्भावस्था के आठवें माह में मीजोप्रोस्टॉल टैबलेट्स के अग्रिम वितरण सम्बन्धी निर्देश।
6. गर्भवती महिला के प्रसव के तुरन्त बाद मीजोप्रोस्टॉल टैबलेट्स के सेवन के सम्बन्ध में महिला व उसके परिवार जनो को विस्तृत निर्देश एवं परामर्श।
7. किन परिस्थितयों में गोलियां न दें एवं समान्य प्रतिकूल प्रभाव व उनसे बचाव के तरीके।
8. मीजोप्रोस्टॉल गोलियों का भण्डारण एवं रखरखाव
9. प्रसव उपरान्त रक्तश्राव कैसे पहचानें
10. रिर्पोटिंग एवं रिर्पोट

प्रशिक्षण के अतिरिक्त ए.एन.एम. व आशा को जाब एड्स उपलब्ध करायें जायेगें।

रिकार्डिंग एवं रिर्पोटिंग–

ब्लॉक पी.एच.सी. के फार्मास्टि द्वारा ए.एन.एम. को तथा ए.एन.एम. द्वारा क्षेत्रीय आशाओं को मीजोप्रोस्टॉल गोलियों का वितरण किया जायेगा। आशायें गृह प्रसव का चुनाव करने वाली गर्भवती महिलाओं को पी0पी0एच0 से बचाव हेतु मीजोप्रोस्टॉल टैबलेट्स का वितरण करेंगी।

मीजोप्रोस्टॉल दवाओं की प्रविष्ट स्टॉक रजिस्टर में करते हुए समस्त रिर्पोट्स का रख रखाव फार्मेसिस्ट द्वारा किया जायेगा। रजिस्टर में दवाओं का बैच नं0 एक्सपाइरी डेट प्राप्ति एवं वितरण की तिथि एवं मात्रा अकिंत की जाये।

ए.एन.एम. व आशा द्वारा उनके स्तर से वितरित गोलियों का हिसाब मासिक प्रपत्र पर भर कर एक कॉपी अपने स्तर पर रखते हुये अग्रसारित किया जायेगा।

किसी प्रतिकूल प्रभाव की स्थित में लाभार्थी को आशा ए.एन.एम. को तत्काल सूचित करते हुए निकटतम स्वास्थ्य इकाई को संदर्भित करेगी क्षेत्रीय ए.एन.एम. प्रतिकूल प्रभाव की प्रविष्ट सुनिश्चित करेगी।

मानदेय– प्रसव पूर्व गर्भवती महिला का चिन्हीकरण करके एक से अधिक शिशु न होने की जांच सुनिशचित कर अन्य खतरे को दूर करते हुए महिला व उसके परिवार को प्रसव के बाद पी.पी.एच. से बचाव हेतु मीजोप्रोस्टॉल टैबलेट्स के सेवन की सलाह देने पर आशाओं को निर्धारित मानदेय रू–100.00 / मीजोप्रोस्टॉल अपनाने वाली महिला के अनुसार देय होगा।

वित्तीय व्यवस्था– वित्तीय वर्ष 2018–19 में भारत सरकार से प्राप्त आर0ओ0पी0 में एफ0एम0आर0 कोड– 18.2 में रू0–111.86 लाख धनराशि स्वीकृत की गयी है। इस धनराशि में आशाओं के लिये रू0–100.00 प्रति लाभार्थी प्रोत्साहन धनराशि भी सम्मिलित है।

एफ0एम0आर0 कोड– 18.2 के अर्न्तगत जनपद पीलीभीत को रू0–15.54 लाख, बिजनौर को रू0–20.72 लाख, कौशाम्बी को रू0–11.60, बहराइच को रू0–42.13 एवं प्रतापगढ़ को रू0–21.87 की धनराशि हस्तान्तरित की जा रही है।

बिजनौर, पीलीभीत, कौशाम्बी, बहराइच एवं प्रतापगढ़ जनपदों में पी.पी.एच. से बचाव हेतु गृह प्रसव अपनाने वाली गर्भवती महिलाओं को आशाओं के माध्यम से मीजोप्रोस्टॉल टैबलेट्स के अग्रिम वितरण प्राविधानित धनराशि का मदवार व्यय आवंटित धनराशि की सीमा के भीतर ही किया जाय।

- धनराशि का आबंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नही करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रकिया का पालन करते हुए, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम / मद में धनराशि आबंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाये।
- व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियाँ, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्त मासिक कान्करेन्ट आडिटर, स्टेटच्यूरी आडिट, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

- आवंटित धनराशि का व्यय शासकीय एवं विभागीय नियम एवं शर्तों का पालन करते हुए किया जाय।
- उपर्युक्त धनराशि के उपयोग में किसी प्रकार की अनियमितता के लिए जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(पंकज कुमार)
मिशन निदेशक

पत्रसंख्या–एस0पी0एम0यू0/मातृ स्वा0/मीजोप्रोस्टॉल/136/2018–19/ तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प0क0, उत्तर प्रदेश शासन।
2. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ0प्र0।
3. निदेशक, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ0प्र0।
4. समस्त महाप्रबंधक, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0 को सूचनार्थ।
5. महाप्रबंधक एम0आई0एस0, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0 को upnhm की बेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेश, चि0स्वा0 एवं प0क0, उत्तर प्रदेश।
7. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, जनपद– बिजनौर, पीलीभीत, कौशाम्बी, बहराइच एवं प्रतापगढ, उ0प्र0।
8. मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका/अधीक्षक, जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालय, जनपद– बिजनौर, पीलीभीत, कौशाम्बी, बहराइच एवं प्रतापगढ, उ0प्र0।
9. सम्बन्धित मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक, एन0एच0एम0, उ0प्र0।
10. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, एन0एच0एम0, जनपद– बिजनौर, पीलीभीत, कौशाम्बी, बहराइच एवं प्रतापगढ उ0प्र0।
11. गार्ड फाईल।

(डा0 स्वप्ना दास)
महाप्रबन्धक मातृ स्वा0

Mesoprostol distribution in home del DHAP sheet for year 2018-19

SL. No.	District	Physical Targets FMR 18.2				Budget FMR 18.2					
		Number of Block	Expected Home Delivery	Targetted Distribution of Mesoprostol to PW (50%)	Expected No of mesoprostol (200mg) Tabs	Tab Mesoprostol procurement	ASHA Incentive @ Rs.100.00 each case	Printing of registers @ Rs50.00 each	District orientation Training	Block orientation Training	Total Budget
1	Bijnor	11	28,000	14,000	42,000	6,72,000	14,00,000				20,72,000
2	Pilibhit	7	21,000	10,500	31,500	5,04,000	10,50,000				15,54,000
New District			-								-
3	Kaushambi	8	10,000	5,000	15,000	2,40,000	5,00,000	75,000	25,000	3,20,000	11,60,000
4	Bahraich	14	47,000	23,500	70,500	11,28,000	23,50,000	1,50,000	25,000	5,60,000	42,13,000
5	Pratapgarh	17	18,000	9,000	27,000	4,32,000	9,00,000	1,50,000	25,000	6,80,000	21,87,000
Total		**57**	**1,24,000**	**62,000**	**1,86,000**	**29,76,000**	**62,00,000**	**3,75,000**	**75,000**	**15,60,000**	**1,11,86,000**